27/06/2023, 11:11 Intimation



बिहार विद्यालय परीक्षा समिति



सत्र 2023-2025 इंटरमीडिएट / +2 कोर्स में नामांकन हेतु आपके चयन से सम्बन्धित प्रथम सूचना पत्र(First Intimation Letter)

सेवा में ,

आवेदक/ आवेदिका का नाम :VIVEK KUMAR ROY

पिता का नाम	माता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	आरक्षण कोटि	मोबाइल न०
SANJAY KUMAR ROY	PRIYANKA ROY	11 Mar 2008	Male	Backward Class	8294177748
पता : Postalpark Indira Nagar Road NO -06A , Thana -jakkanpur , patna					



- 01. राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इंटरस्तरीय शिक्षण संस्थान में सत्र 2023-2025 में इण्टरमीडिएट कक्षा में OFSS (Online Facilitation System For Students) प्रणाली से नामांकन किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए 10वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों से दिनांक- 17.05.2023 से 26.05.2023 तक OFSS के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन (CAF) आवेदन आमंत्रित किये गए थे, जिसे बाद में दिनांक 01.06.2023 से 07.06.2023, एवं दिनांक 08.06.2023 से 14.06.2023 तक दो बार विस्तारित किया गया था, तथा अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि बढ़ाते हुए दिनांक 17.06.2023 तक निर्धारित किया गया था।
- 02. **OFSS** के माध्यम से मान्यता प्राप्त उपर्युक्त श्रेणी के +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में इस प्रथम चयन सूची का निर्माण निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर किया गया है:-
 - विद्यालयों/महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उपलब्ध सीट की संकायवार कुल संख्या,
 - II. विद्यार्थियों द्वारा **OFSS Portal** पर किये गए ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान/संकाय का विकल्प,
 - III. विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं का प्राप्तांक,
 - IV. आरक्षण सम्बन्धी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान,
 - V. वैसे संस्थानों में, जहाँ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों ने यदि इण्टर की पढ़ाई हेतु विकल्पों में अपने विद्यालय (जहाँ से उन्होंने 10वीं की कक्षा उतीर्ण की है), का विकल्प दिया है, तो ऐसे मामलों में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के निर्णयानुसार अपने मूल संस्थान में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गई है, अर्थात यदि उनकों अपने मूल संस्थान से ऊपर का विकल्प नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची में नहीं मिलता है, तो उनका चयन अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जायेगा। किन्तु महाविद्यालय / संस्थान के लिए ये प्रावधान उनकी अधिकतम स्वीकृत सीमा के अंतर्गत ही अनुमान्य है । अर्थात् यदि किसी संस्थान में अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या (आरक्षण श्रेणीवार) से अधिक उसी संस्थान में विद्यार्थियों ने इण्टर में नामांकन के लिए आवेदन दिया है तो वैसे स्थिति में आरक्षण श्रेणीवार मेघा सूची में उपर से सीमित संख्या (अधिकतम सीट क्षमता के अनुसार) का ही उस संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर इस प्रथम सूची में नामांकन किया जायेगा। शेष विद्यार्थियों (जो आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में नीचे हैं) को उनका वह संस्थान नहीं दिया गया है बल्कि उनको उनके द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर उन्हें अन्य संस्थान आवंटित किया गया है।
- 03. अतः उपरोक्त कंडिका-1 में अंकित तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा इण्टर/+2 कक्षा में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची (First Selection List) जारी कर दी गई है, जिसे संबंधित +2 विद्यालय/ महाविद्यालय को उनके Login ID पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही +2 विद्यालय/महाविद्यालयों के अलग-अलग संकायों का Cut Off Percentage (आरक्षण श्रेणीवार) भी समिति के Website पर जारी कर दिया गया है, जिसे आवेदक / आवेदिका समिति के वेबसाईट www.ofssbihar.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदकों / आवेदिकाओं को उनके Login ID पर प्रथम सूचना पत्र (Intimation Letter) जारी कर दिया गया है, जिसे वे OFSS Portal पर अपने Reference ID / Barcode संख्या एवं Mobile Number डालकर इसे Download कर सकते हैं।
- 04. सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023-2025 सत्र के लिए इण्टर / +2 कक्षा में नामांकन हेतु जो आवेदक / आवेदिका के द्वारा आवेदन पत्र जमा किया गया था, उसका Reference ID / Barcode संख्या 23J1644334 है। आवेदक / आवेदिका द्वारा प्राथमिकता के अनुसार नामांकन हेतु जिन +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों का विकल्प दिया गया है, उनमें से आवेदक / आवेदिका द्वारा भरे गए प्राथमिकता के आधार पर, 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत (%), आरक्षण कोटि एवं आपके मूल संस्थान के सम्बन्ध में उपर्युक्त कंडिका-2 (v) के प्रावधान (यदि लागू हो तो) के आलोक में इण्टर/+2 में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची (First Selection List) में आवेदक / आवेदिका निम्नलिखित +2 विद्यालय / महाविद्यालय / संकाय आवंटित किया जाता है:-
 - (क) +2 विद्यालय/महाविद्यालय का नाम: UTKRAMIT M S KHANETHI SEMRI KARGAHAR, ROHTAS
 - (ख) संकाय : Science
- 05. आवेदक / आवेदिका **OFSS Portal** पर जारी प्रथम चयन सूची (First Selection List) को डाउनलोड कर आवंटित +2 विद्यालय/महाविद्यालय से सम्पर्क स्थापित कर अपना नामांकन दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 के बीच अवश्य करा लें। अगर आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराया जाता है तो आपका अभ्यर्थित्त रह कर दिया जाएगा। यदि आवेदक / आवेदिका इस आवंटित +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय से संतुष्ट नहीं है और अगर आवेदक / आवेदिका का चयन दिए गए विकल्पों के उच्चतर संस्थान में नहीं हुआ है तो आवेदक/आवेदिका दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 तक www.ofssbihar.in वेबपेज पर जाकर slide up option की सहमति दे सकते हैं। तािक, द्वितीय चयन सूची में आवेदक द्वारा नामांकन हेतु भरा गया उच्चतर विकल्प (Higher Preference) वाला कॉलेज/संकाय आवंटित करने पर विचार किया जा सके। किन्तु यह slide up विकल्प तभी मान्य (Valid) होगा, जब आवेदक/आवेदिका दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 के बीच प्रथम सूचना पत्र में आवंटित (कंडिका-4 में अंकित) +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन (Admission) करा लें। यदि आवेदक/आवेदिका इस पत्र के कंडिका-4 में आवंटित +2 विद्यालय/महाविद्यालय में निर्धारित अविध में नामांकन नहीं कराते हैं, तो उनके द्वारा Slide up विकल्प भरने पर भी इसकी मान्यता नहीं दी जाएगी तथा आवेदक/आवेदिका का आवेदन एवं अभ्यर्थित (Candidature) रद्ध कर दिया जाएगा।
- 06. स्ताईड अप (Slide up) प्रक्रिया:-प्रथम चयन सूची में चयनित आवेदक/आवेदिका दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 तक आवंटित +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन उपरांत अपने द्वारा भरे गये उच्चतर विकल्प (Higher Preference) हेतु स्लाइड अप ऑप्शन की सहमति दे सकते हैं, जिससे दूसरे चयन सूची तैयार करने के समय उनके नाम पर विचार किया जा सके। ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि निर्धारित अविध दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 तक वे अपना नामांकन चयनित संस्थान/संकाय में अवश्य करा लें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय चयन सूची में कोई विचार नहीं किया जायेगा अर्थात् उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा और उनका आवेदन रद्ध कर दिया जायेगा।
- 07. प्रथम चयन सूची प्रकाशन के पश्चात् द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर सम्बन्धित +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में नामांकन लिया
- 08. निदेश किया जाता है कि आप अपने आवंटित +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय में 27.06.2023 से 03.07.2023 के बीच अवश्य नामांकन करा लें तथा यदि आप इस आवंटित कॉलेज/संस्थान से संतुष्ट नहीं है, तो 27.06.2023 से 03.07.2023 के बीच किसी भी दिन slide up विकल्प पर अपनी सहमति दें, ताकि आपके आवंदन पर द्वितीय चयन सूची में आपके द्वारा दिये गए उच्चतर प्राथमिकता वाले विकल्पों पर विचार किया जा सके |

आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ

- a. आवेदक / आवेदिका आवंदित +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन हेतु निर्गत Reference ID / Barcode युक्त चुने जाने से सम्बन्धित पत्र (Intimation letter) एवं पूर्व में भरे गए सामान्य आवेदन पत्र (Common Application Form) की प्रति निश्चित् रूप से ले जायेंगे।
- b. आवेदक / आवेदिका नामांकन कराने के पूर्व आवंटित +2 विद्यालय/महाविद्यालय में उपस्थित होकर शुल्क तथा अन्य सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

27/06/2023, 11:11 Intimation

 с. आवेदक / आवेदिका को सम्बन्धित +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के समय जाँच के लिए उन मूल अभिलेखों को ले जाना होगा, जो नामांकन के लिए आवश्यक है। जैसे 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र, उतीर्णता प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के पाँच रंगीन फोटो, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवंटित +2 विद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा मांगी जाय।

- d. +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के पश्चात् आवेदक द्वारा जमा किये गये मूल अभिलेखों में से विद्यालय द्वारा निर्गत परित्याग प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा प्रवजन (Migration) प्रमाण पत्र सम्बन्धित +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा रख लिया जाएगा।
- e. नामांकन के समय अगर +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा नामांकन हेतु कुछ अन्य अभिलेख की माँग की जाती है, तो नामांकन के पूर्व जाकर संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर लें तथा उन अभिलेखों को महाविद्यालय को उपलब्ध करवायें।
- f. आवेदक/आवेदिका को सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिए उन्हें सम्बन्धित +2 विद्यालय/महाविद्यालय से सम्पर्क करना चाहिये और नामांकन की प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी को प्राप्त कर लेना चाहिये। अगर चयनित आवेदक/आवेदिका आवंटित शिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका नाम OFSS System से हटा दिया जायेगा और जारी होने वाले द्वितीय या तृतीय चयन सूची में भी उनके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।
- g. अतः आपको सूचित किया जाता है कि जिस +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन के लिए आपका नाम चयनित हुआ है, आप 27.06.2023 से 03.07.2023 तक उस +2 विद्यालय/महाविद्यालय में सर्वप्रथम नामांकन करा लें। ऐसा करने पर आप द्वितीय चयन सूची जारी होने पर उस +2 विद्यालय/महाविद्यालय में भी नामांकन ले सकेंगे जिसके लिये आपने नामांकन हेतु slide up option की सहमति दी है। यदि आप निचली प्राथमिकता वाले विकल्प के लिए भी चयनित है तो उस +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन अवश्य करा लेना चाहिये, ताकि स्लाइड अप का उपयोग किया जा सके और उसके आधार पर जारी होने वाले द्वितीय चयन सूची में आपके द्वारा दिये गये उच्चतर विकल्प के संस्थान में नामांकन हेतु विचार किया जा सके। अगर इस महाविद्यालय में चयनित होने पर नामांकन नहीं लेते हैं तो स्लाइडिंग अप के जिरये आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- h. अगर आवेदक द्वारा सामान्य आवेदन प्रपत्र (Common Application Form) में भरी गयी आरक्षण श्रेणी अथवा विभिन्न विषयों के अंक (बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड के लिए) सम्बन्धित +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा गलत पायी जाती है, तो उस स्थिति में उनका Intimation Letter स्वत: रद्द समझा जाएगा।

<u>नोटः</u>

- I. संबंधित +2 विद्यालय / महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि सूचना पत्र (Intimation Letter) पर अंकित बारकोड नम्बर का मिलान समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची से अवश्य कर लें।
- II. किसी तरह की जानकारी हेतु कृपया सम्बन्धित आवंटित महाविद्यालय अथवा OFSS हेल्पडेस्क नम्बर 0612 2230009 पर सम्पर्क करें।
- III. यह एक कम्प्यूटर जनित पत्र है। अतः इस पर किसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

अगर आपका चयन विज्ञान संकाय में हुआ है तो यह अनिवार्य है की आपने माध्यमिक परीक्षा में गणित एवं विज्ञान की पढ़ाई की हो एवं सम्बंधित बोर्ड द्वारा आपको गणित एवं विज्ञान में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो |

Intimation letter downloaded on 27-Jun-2023 11:09 AM